अनवान सुरेन्द्रमोहन s/o कृष्णचन्द्र

बनाम फा. 32/2019

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए
	गोपा एवं सरपंच ग्राम पंचायत 10 ओ लेकवाला ने उपस्थित होकर अपने कथन की कलमबद्ध कार्यवाही जो शामिल पत्रावली हो। मुअकिल दुर्गाप्रसाद डीलर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी कनफिमेशन प्रमाण पत्र व पटवारी हल्का की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 12/9/19 को पेश हो। 6.9.19 तहसीलदार (भू.अ.) श्रीकरणपुर	
12/9/19	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, श्रीकरनपुर के पत्र क्रमांक राजस्व /19/289 दिनांक 14/8/19 सुरेन्द्र मोहन पुत्र कृष्णचन्द्र पालीवाल जाति ब्राह्मण निवासी जयपुर के पत्र की छायाप्रति के साथ प्राप्त हुआ जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है- प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी की माता सुशीलादेवी पत्नि कृष्णचन्द्र के नाम आराजी चक 13 ओ के मु0नं. 68 में 0.245 हैक्. भूमि की वसीयत अपने पुत्र सुरेन्द्रमोहन के पक्ष में निष्पादित करवाई है। वसीयतकर्ता का देहान्त दिनांक 25/4/2001 को हो चुका है।, के आधार नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। पटवारी हल्का को तलब किया गया। पटवारी हल्का ने मय नामान्तरण पंजिका उपस्थित होकर जानकारी दी कि चक 13 ओ के मु0नं. 68 में 1.038 हैक्. ग0मु0 भूमि संयुक्त खातेदारी की है, जिसमें सुशीला देवी पत्नि कृष्णचन्द्र के नाम से 0.245 हैक्. ग0मु0 रकबा दर्ज है। उक्त भूमि की वसीयत	

का इन्तकाल दर्ज किया जा चुका है और अभी अनिर्णित है। पटवारी हल्का के नामान्तरण पंजिका का अवलोकन किया गया कि इन्तकाल पंजिका चक 13ओ के नामान्तरण संख्या 1036 सुशीलादेवी पत्नि कृष्णचन्द जाति ब्राह्मण के फौत होने पर वसीयत के आधार पर उसके पुत्र सुरेन्द्र मोहन के पक्ष में दिनांक 24/1/2019 को दर्ज किया गया। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 17/3/19 को टिप्पणी की गई कि ग्राम पंचायत मौका कब्जा, स्वयं आदेश की जांच कर निर्णय करे। चूंकि नामान्तरण निर्णय हेतु निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के कारण नामान्तरण निर्णय का ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार नहीं रह जाता है। अतः नामान्तरण का निस्तारण अदालत हाजा द्वारा किया जाना है। चूंकि यह नामान्तरण वसीयत के आधार पर भरा गया है। अतः राजस्थान भू अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 131(2) के तहत वसीयत की वैधता की सरसरी जांच के उपरान्त ही नामान्तरण निस्तारित किया जाना उचित है। अतः प्रकरण अन्तर्गत धारा 135(2) LR Act के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को वसीयत के पक्ष में साक्ष्य पेश करने एवं वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/एतराज आमंत्रण हेतु किसी लोकप्रिय समाचार पत्र में अपने स्वयं के खर्चे पर सार्वजनिक सूचना का विज्ञापन प्रकाशित करवाकर उसकी प्रति पेश

अनवान..

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने बाबत नोटिस जारी किया गया। पटवारी हल्का को बिन्दुवार रिपोर्ट करने हेतु पाबन्द किया गया। एक सार्वजनिक सूचना जारी कर तहसील/ ग्राम पंचायत भवन / मौके पर चस्पा करवाई गई कि इस वसीयत के बारे में किसी को कोई आपत्ति/ एतराज हो तो सात दिवस में स्वयं या अपने वकील के माध्यम से कार्यालय में पेश करें। प्रार्थी ने अपनी माता सुशीलादेवी द्वारा दिनांक 28/1/2001 को निष्पादित वसीयत, जिसमें बतौर साक्ष्य अपना स्वयं का तथा अपने भाई विजेन्द्र मोहन, नरेन्द्र मोहन तथा बहिनें उमा, कुसुमलता, मनोरमा तथा अपनी भाभी ऊषा पालीवाल द्वारा 50-50 रूपये के स्टाम्प पेपर नोटेरी द्वारा फोटो सहित प्रमाणित शपथ पत्र पेश किये। जिसमें सभी ने लिखा /कथन किया है कि उनकी माताजी सुशीलादेवी पत्नि कृष्णचन्द्र पालीवाल ने अपने जीवनकाल में समस्त चल/ अचल सम्पत्तियों बाबत एक वसीयतनामा अपने परिवार के हित में दिनांक 28/1/2001 को निष्पादित कर दिनांक 28/1/2001 को ही वसीयतनामा नोटेरी से प्रमाणित करवाया था। ग्राम श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर में स्थित राजस्व रिकार्ड में उनकी माताजी के नाम दर्ज मुरब्बा संख्या 68 के कि० नं० 18 से 22 में 0.245 हैक. भूमि दर्ज है जो वसीयतनामे के बिन्दु संख्या (द) के अनुसार सुरेन्द्र मोहन पालीवाल पुत्र श्री कृष्णचन्द्र पालीवाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु अपनी पूर्ण सहमति देता/ देती हूं। उन्हे इसमें कोई एतराज नहीं है और भविष्य में भी इस बाबत	

किसी प्रकार का कोई विवाद या उज्र नहीं करेंगे। वसीयत में दर्ज गवाहान के बयानानुसार वसीयतकर्ता सुशीला देवी पत्नि कृष्णचन्द्र ने मेरे सामने वसीयतनामा दिनांक 28 जनवरी 2001 को निष्पादित करवाया था। वसीयतकर्ता सुशीला देवी ने जिस दिन वसीयत लिखवाई थी, उस दिन वह बिल्कुल तन्दरुस्त और स्वस्थचित थी। यह वसीयत मेरे सामने राजीखुशी से, बिना किसी दबाव व लालच के लिखवाई थी। उनके यानि वसीयतकर्ता के कहने पर ही मैंने वसीयत को प्रमाणित किया था। वसीयत के पक्ष बतौर साक्ष्य एक शपथ पत्र दिया गया है।

ग्राम पंचायत 10 ओ नेजेवाला के सरपंच प्रदीपकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल के बयानानुसार मैं वर्तमान में सरपंच के पद पर कार्यरत हूं। चक 13 ओ, ग्राम पंचायत 10 ओ नेजेवाला के अन्तर्गत आता है। ग्राम 13 ओ के मु0 नं० 68 की किला नं. 18 ता 22 की खातेदारी सुशीला देवी पत्नि कृष्णचन्द्र के नाम संयुक्त खाते में 0.245 हैक्ट. में कुल भूमि दर्ज है। सुशीला देवी का देहान्त दिनांक 25/4/01 को हो चुका है। सुशीला देवी उक्त रकबे की वसीयत अपने पुत्र सुरेन्द्र मोहन के पक्ष में दिनांक 28/1/2001 को की जा चुकी है। ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर एक सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र सीमा संदेश दिनांक 28 जुलाई 2018 के अंक में प्रकाशित करवाई। नामान्तरण दर्ज करने बाबत कोई

अनवान..

बनाम

7

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा जांच करने पर वसीयत सही व सत्य पाई गई। यह सही है कि इस भूमि पर वर्तमान में कोई विवाद नहीं है। उक्त भूमि / प्रश्नगत भूमि पर सुरेन्द्र मोहन पुत्र कृष्णचन्द्र ही काबिज है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर पेट्रोल पम्प बना हुआ है। यह भूमि स्वातेदारान द्वारा लीज पर दी हुई। यह सही है कि पटवारी हलका द्वारा चक 13 ओ में दर्ज किया गया नामान्तरण बिलकुल सही है। यदि यह नामान्तरण संख्या 1036 स्वीकृत कर जावे तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।	
	प्रार्थी सुरेन्द्र मोहन पुत्र कृष्णचन्द्र जाति नाहटा के शपथ पत्रानुसार प्रार्थी की माता सुशीला देवी ने अपने जीवनकाल में समस्त चल/अचल सम्पत्तियों बाबत एक वसीयतनामा अपने वारिसान के पक्ष में दिनांक 28/1/2001 को निष्पादित करवाया। दिनांक 28/1/2001 को ही वसीयतनामा नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित करवाया था। यह है कि उक्त रकबा / प्रश्नगत रकबा 0.245 है०. भूमि पूर्णत: मेरे कब्जे में है। इस भूमि पर किसी प्रकार का कोई वाद / विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और ना ही कोई विवाद है। यह है कि उक्त रकबा 0.245 है०. भूमि मेरी माताजी सुशीलादेवी के के अनुसार मेरे नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने के सम्बन्ध में किसी भी	
	(initials)	

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कानूनन वारिसान को कोई उज्र या एतराज नहीं है तथा सभी वारिसान की पूर्ण सहमति है। वसीयत के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आबादी चक 13 ओ के खाता संख्या 115 में मु०नं० 68 के कि०नं० 18 ता 22 = 1.038 हैक्ट मे० मुताबिक मे से सुशीला देवी पत्नि कृष्णचन्द्र जाति ब्राह्मण के नाम से 0.245 हैक्ट. मे० मु० रकबा दर्ज है। जिसका नामान्तरण संख्या 1036 वसीयत के आधार पर सुशीला देवी के पुत्र सुरेन्द्र मोहन के नाम से दिनांक 24/1/2019 को दर्ज किया गया। यह नामान्तरण ग्राम पंचायत के निर्णय से खोज है। यह है कि सुशीला देवी पत्नि कृष्णचन्द्र के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रश्नगत रकबा स्वः अर्जित है। मौके पर कब्जा वसीयतनुसार है। मौके पर पैट्रोल पम्प बना हुआ है, जो लीज पर दिया हुआ है। वसीयतकर्ता के हिस्से पर पैट्रोल पम्प बना हुआ है। प्रश्नगत रकबा रहन/बैय नहीं है। प्रश्नगत रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं है और न ही किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है। प्रश्नगत रकबा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है और न ही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित/आवंटित नहीं है।
	मुन्शीलाल दुर्गा प्रसाद, डीलर भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के डीलर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रश्नगत भूमि

अनवान..

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	सुशीला देवी पत्नि कृष्णचन्द्र के वारिसान सुरेन्द्र मोहन पुत्र कृष्णचन्द्र पारिवाल के नाम इन्तकाल किया जाता है तो प्रार्थी को कोई उज्र या एतराज नहीं है। इस कार्यालय के पत्रांक 1945 दिनांक 21/8/19 द्वारा प्रसीपत के सम्बन्ध में आपत्ति/एतराज बाबत सार्वजनिक सूचना लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के लिये विज्ञप्ति जारी की गई, जो समाचार पत्र "लोक सम्मत दिनांक 27/8/2001 के अंक में पृष्ठ संख्या 2 पर प्रकाशित हुई। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आदिनांक तक इस कार्यालय में कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुये है। वसीयत का अवलोकन किया गया। वसीयत में श्रीमति सुशीला देवी ने लिखा है कि वह अपनी स्वेच्छा से व पूर्ण होस-हवास में, बिना किसी दबाव के अपनी अन्तिम वसीयत निष्पादित कर रही है। इससे पूर्व उसके द्वारा कोई वसीयत निष्पादित की गई है तो उसको निरस्त समझा जावे। वसीयत के बिन्दु संख्या "ट" में उल्लेख किया गया है कि इसके अलावा अन्य कोई सम्पत्ति जिसका इस वसीयत में उल्लेख नहीं है। यह समस्त सम्पत्ति सुरेन्द्र मोहन को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दे दी जावे। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, शपथ पत्र एवं बयानात आदि का गहन अध्ययन व मनन किया गया। वसीयत सुशीला देवी द्वारा वसीयत पूर्ण होश हवास में अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव/प्रलोभन के निष्पादित करवाई है। वसीयत में अंकित बिन्दु संख्या "द" में उल्लेख किया है कि इसके अलावा अन्य कोई सम्पत्ति, जिसका इस वसीयत में उल्लेख नहीं है, वह समस्त सम्पत्ति सुरेन्द्र मोहन को दी जावे। प्रार्थी सुरेन्द्र मोहन और भाई विजेन्द्र मोहन, नरेन्द्र मोहन, उषा, कुसुमलता, मनोरमा, आशा पालीवाल सभी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि उनकी माताजी सुशीला देवी ने अपने जीवनकाल में समस्त चल/अचल सम्पत्ति बाबत एक वसीयतनामा दिनांक 28/11/01 निष्पादित करवाकर जो देवी से प्रमाणित करवाया था। वसीयतनामे के बिन्दु संख्या "द" अनुसार सुरेन्द्र मोहन के नाम यदि राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है, तो हम सभी को कोई आपत्ति नहीं है और न ही भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद खड़ा नहीं करेंगे। गवाहान के बयानानुसार वसीयतकर्ता सुशीला देवी ने वसीयत पूरे होश हवास में, बिना किसी दबाव/प्रलोभन के, राजीखुशी से, तन्दुरुस्त व स्वस्थचित मन से गवाहान के समक्ष करवाई थी। सरपंच ग्राम पंचायत 10 ओ ने अपने शपथ पत्र तथा अपने बयानों में वसीयत तथा वसीयत के आधार पर भरे गये नामान्तरण को सही

अनवान..

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए
	बताया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत रकबा एवं अर्जित है। प्रश्नगत रकबा 280/पेय नहीं है और रकबा खातेदारी है। प्रश्नगत रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं है और न ही किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है। प्रश्नगत रकबा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है और न ही किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित/आवंटित है। प्रचलित कानून के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 में यह प्रावधान किया हुआ है कि खातेदारी अभिधारी जोत या उसके किसी भाग को अपने हित की स्वीय विधि के अनुसार वसीयत कर सकता है। यह बताया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 में तथा भारतीय उत्तराधिकार नियम की धारा 57, 58 तथा तृतीय अनुसूचि में भी की गई है। प्रचलित कानून (हिन्दू कानून) के अनुसार प्रत्येक स्वस्थचित, जो अवयस्क नहीं है। वसीयत द्वारा अपनी सम्पत्ति का निपटारा कर सकेगा। वसीयत के मामलो में भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 131(2) में नामान्तरणकरण का तरीका व वसीयत की वैधता की जांच सम्बन्धी व्यवस्था की गई है। प्रासंगिक वसीयत का अवलोकन किया गया। जिसमें सुशीलादेवी ने लिखा है कि वह अपने स्वेच्छा एवं पूर्ण होश-हवास में	

तारीख हुक्म

हुक्म

बिना किसी दबाव के अपनी अन्तिम वसीयत निष्पादित कर रही है। वसीयत के बिन्दु सं. "6" यह भी लिखा है कि उसके नाम अन्य कोई ऐसी सम्पति जिसका इस वसीयत में उल्लेख नहीं है वह सुरेन्द्र मोहन को दे दी जावे। वसीयत के गवाह श्री सुरेशकुमार पुत्र दामोदरलाल अपने शपथ पत्र में लिखा है कि श्रीमति सुशीलादेवी पत्नि कृष्णचन्द पालीवाल ने अपनी सम्पति का वसीयतनामा दिनांक 28 जनवरी 2001 को मेरी सलाह से तथा मेरे सामने बनाया था एवं हस्ताक्षर मेरे समक्ष किये थे। यह वसीयतनामा बिल्कुल सही है। वह उसका साक्षी है। श्री सुरेशकुमार ने अपने बयानों में यह भी लिखवाया कि दिनांक 28 जनवरी 2001 को उक्त सुशीलादेवी ने वसीयत पत्र लिखवाया था। उस दिन वह तन्दुरस्त एवं स्वस्थचित थी। और वसीयतनामे पर राजीखुशी बिना दबाव व आग्रह के वसीयत पढ़कर मेरे सामने हस्ताक्षर किये थे और उनकी सहमति से गवाह ने वसीयत को प्रमाणित किया था। प्रार्थी सुरेन्द्र मोहन पुत्र कृष्णचन्द ने भी शपथपत्र एवं लिखित बयानों में यह कथन किया है कि उनकी माता सुशीला देवी पत्नि कृष्णचन्द ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त चल/अचल सम्पति का वसीयतनामा दिनांक 28/01/2001 को निष्पादित करवाकर नोटेरी से प्रमाणित करवाया था। प्रदर्श 13 ओ क्र0नं. 68 के दि0नं. 18/2/2

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	में संयुक्त खाते में 0.245 हैक्ट. भूमि दर्ज है। जो वसीयतनामे के बिन्दु संख्या "द" के अनुसार मेरे पक्ष में निष्पादित की थी। उक्त भूमि 0.245 हैक्ट. पर मेरा कब्जा है। इस भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है और न ही किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है। मेरी माता जी ने उक्त भूमि की वसीयत पूरे होश हवास, बिना किसी दबाव के, अपनी पूर्ण स्वेच्छा से व स्वस्थचित मन से मेरे पक्ष में निष्पादित करवाई है। उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में मेरे नाम से इन्द्राज करने पर किसी भी कानूनन वारिसान को उज्र व एतराज नहीं है। सभी वारिसान सहमत है।	
	प्रार्थी के भाई विजेन्द्र मोहन पुत्र कृष्णचन्द, नरेन्द्र मोहन पुत्र कृष्णचन्द तथा प्रार्थी की बहने उमा देवी पालीवाल पत्नि शशिकुमार पालीवाल, कुसुमलता पत्नि ~~पत्नि~~ बालकृष्ण पालीवाल, मनोरमा देवी पालीवाल पत्नि सच्चि-वल्लभ पालीवाल तथा प्रार्थी की भाभी ऊषा पत्नि अशोककुमार के 50-50 रुपये के शपथ पत्र जो फोटो सहित नोटेरी से प्रमाणित है। उक्त समस्त शपथ पत्रों में भी यह कथन किया गया है कि श्रीमति सुशीला देवी पत्नि कृष्णचन्द पालीवाल ने अपने जीवनकाल में समस्त चल/अचल सम्पति बाबत एक वसीयतनामा अपने वारिसान के हित में दिनांक 28 जनवरी 2001 को निष्पादित करवाकर 28 जनवरी 2001 को ही नोटेरी से प्रमाणित करवाया था। श्रीकरनपुर	

तारीख हुक्म

जिला श्रीगंगानगर राजस्व रिकार्ड में उनकी माता के नाम से दर्ज मुरब्बा नम्बर 68 के किला नं. 18 से 22 में 0.245 हैक्टे. भूमि दर्ज है। जो वसीयतनामा के बिन्दु संख्या "द" के अनुसार सुरेन्द्र मोहन पालीवाल पुत्र कृष्णचन्द पालीवाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु अपनी पूर्ण सहमति देते है। इसमें कोई एतराज नहीं है। और भविष्य में भी कोई विवाद या उज्र नहीं करेंगे।

ग्राम पंचायत 10 ओ वेजेवाला द्वारा जारी पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत 10 ओ वेजेवाला के लिखित बयानानुसार भी वसीयत की जांच की गई और वसीयत सही पाई गई।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सुशीला देवी पत्नि कृष्णचन्द ने अपने जीवनकाल में स्वस्वचित, पूर्ण होस-हवास में अपनी स्व: अर्जित सम्पत्ति की वसीयत का निष्पादन किया था। जो निर्विवाद एवं संदेह से परे है। वसीयत की वैधता प्रमाणित होती है।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत चक 13 ओ के नामान्तरण पंजिका में दर्ज नामान्तरण संख्या इसी वसीयत के आधार पर सुशीलादेवी पत्नि कृष्णचन्द के स्थान पर उनके पुत्र सुरेन्द्र मोहन पुत्र कृष्णचन्द

अनवान..

बनाम

15

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	के नाम दिनांक 22/1/2019 को भरा गया था। एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 17/3/2019 को जांचकर यह टिप्पणी की गई कि ग्राम पंचायत मौका कब्जा, स्थगन आदेशों की जांच कर निश्चित करें। चूंकि नामान्तरण ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित अवधि में निश्चित नहीं होने से वास्ते निर्णय हमारे समक्ष पेश हुआ है। सरपंच ग्राम पंचायत 13 को में भी अपने पत्र एवं बयानों में यह कथन किया है कि नामान्तरण वसीयत के आधार पर सही भरा गया है। और स्वीकृत किया जाना उचित है। ग्राम पंचायत ने यह भी लिखा है कि नामान्तरण में किसी प्रकार का कोई वाद विचाराधीन नहीं है और न ही किसी न्यायालय का स्थगन इत्यादि है। यह नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार यह भूमि पं. सुशीला देवी की खातेदारी भूमि है जो कि उसकी स्व: अर्जित है। रकबा बेय/रहन नहीं है। भूमि पर किसी न्यायालय का वाद विचाराधीन नहीं है। भूमि सिलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है और भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित/अवाप्त नहीं है।	

अनवान..

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मौके पर वसीयतकर्ता के वारिसान का कब्जा है, जो कि लीज पर दिया हुआ है उनके हिस्से पर पैट्रोल पंप बना हुआ है। नामान्तरण संख्या 1036 के निर्णय का ग्राम पंचायत का हस्ताक्षरित समाप्त हो चुका है।
	डीलर मुन्शीलाल दुर्गाप्रसाद भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि० के पत्र के अनुसार इस भूमि पर पिछले 40 वर्षों से BPCL कम्पनी का पैट्रोल पंप स्थापित है। इस जमीन का नामान्तरण सुशीलादेवी पत्नि कृष्णचन्द्र के वारिस सुरेन्द्रमोहन पालीवाल पुत्र कृष्णचन्द्र पालीवाल के नाम इन्तकाल नामान्तरण किया जाता है तो उनको कोई उज्र व एतराज नहीं है।
	श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, श्रीकरनपुर के आदेशानुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका क्रमांक 7337/2019 के मद्देनजर प्रार्थी के का प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट पटवारी एवं सरपंच ग्राम पंचायत 10 ओ वेजवालां के पत्र के अनुसार स्वीकृति योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एतद्द्वारा नामान्तरण संख्या 1036 की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।
	12.9.19 तहसीलदार (मु.अ.) श्रीकरणपुर